न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—2017 / 00206 / 223

1. श्रीमती गेकी देवी पत्नी स्व0 शोभा, जाति रावत,
2. राजवीरसिंह पुत्र स्व0 शोभा, जाति रावत,
3. रणवीर सिंह पुत्र स्व0 शोभा, जाति रावत,
4. रघुवीर सिंह पुत्र स्व0 शोभा, जाति रावत,

निवासी ग्राम बडलिया, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रवणसिंह पुत्र स्व0 हजारी, जाति रावत, निवासी ग्राम बडलिया, तहसील व जिला अजमेर ।
2. छोगासिंह पुत्र स्व0 हजारी, जाति रावत, निवासी ग्राम बुबानी, तहसील व जिला अजमेर ।
3. श्रीमती मोहनी पत्नी स्व0 भोला पुत्रवधु स्व0 हजारी, जाति रावत,
4. सीताराम पुत्र स्व0 भोला पौत्र स्व0 हजारी, जाति रावत, नाबालिग जरिये वली माता श्रीमती मोहनी पत्नी स्व0 भोला,
5. आशीष पुत्र स्व0 भोला पौत्र स्व0 हजारी, जाति रावत, नाबालिग जरिये वली माता श्रीमती मोहनी पत्नी स्व0 भोला,
6. कविता पुत्री स्व0 भोला पौत्री स्व0 हजारी, जाति रावत, नाबालिग जरिये वली माता श्रीमती मोहनी पत्नी स्व0 भोला,
7. सुखदेव पुत्र झूमा पत्नी रूपासिंह, जाति रावत, निवासी नोलखा, तहसील व जिला अजमेर ।
8. कालू पुत्र श्रीमती झूमा पत्नी रूपासिंह, जाति रावत, निवासी नोलखा, तह. व जिला अजमेर ।
9. मोहन पुत्र श्रीमती झूमा पत्नी रूपासिंह, जाति रावत, निवासी नोलखा, तह. व जिला अजमेर ।
10. हीरी पत्नी सतपाल सिंह पुत्र श्रीमती झूमा पत्नी रूपासिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम लाडपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।
11. महेन्द्र पुत्र श्रीमती झूमा पत्नी रूपासिंह, जाति रावत, निवासी नोलखा, तह0 व जिला अजमेर नाबालिग जरिये वली सरंक्षक बड़ा भाई सुखदेव पुत्र श्रीमती झूमा पत्नी रूपासिंह, जाति रावत, निवासी नोलखा, तहसील जिला अजमेर ।
12. गुड्डी पत्नी पोखर पुत्री श्रीमती झूमा पत्नी रूपासिंह, जाति रावत, निवासी अणेरी, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
13. श्रीमती फूम्बा पत्नी धन्ना पुत्री स्व0 हजारी, जाति रावत, नि0 ग्राम गुदली, तहसील व जिला अजमेर ।
14. किशना पुत्र हमीरा, जाति रावत, नि0ग्राम बडलिया, तह0 व जिला अजमेर
15. श्रीमती रूकमा पत्नी भोमा पुत्रवधु हमीरा, जाति रावत, निवासी ग्राम बडलिया, तहसील व जिला अजमेर ।
16. शैतानसिंह पुत्र भोमा पौत्र हमीरा, जाति रावत, निवासी ग्राम बडलिया, तहसील व जिला अजमेर ।
17. मेहता सिंह पुत्र भोमा पौत्र हमीरा, जाति रावत, निवासी ग्राम बडलिया, तहसील व जिला अजमेर ।
18. श्रीमती कोया पत्नी भागचंद पुत्री भोमा, जाति रावत, निवासी ग्राम बुबानी, तहसील व जिला अजमेर ।

19. श्रीमती मंगली पत्नी भागू पुत्री भोमा, जाति रावत, निवासी ग्राम कोटाज, तहसील व जिला अजमेर ।
20. श्रीमती चांदा पत्नी गोपाल, पुत्री भोमा, जाति रावत, निवासी बुबानी(साला) तहसील व जिला अजमेर ।
21. श्रीमती सीता पत्नी नारायण पुत्री भोमा, जाति रावत, निवासी ग्राम बड़ी होकरा, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर ।
22. श्रीमती नौरती पत्नी अणदा पुत्री भोमा, जाति रावत, निवासी किशनपुरा–गोवलिया, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर ।
23. गोमा पुत्र हमीरा, जाति रावत, नि0 ग्राम बडलिया, तह0 व जिला अजमेर।
24. हरि पुत्र हमीरा, जाति रावत, नि0 ग्राम बडलिया, तह0 व जिला अजमेर ।
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।
26. उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

27. रिषीराजसिंह पुत्र स्व0 शोभा, जाति रावत, नि0 ग्राम बडलिया, तहसील व जिला अजमेर ।
28. श्रीमती सेठा पत्नी समुन्दर पुत्री शोभा, जाति रावत, निवासी ग्राम बोराज, तहसील व जिला अजमेर ।
29. श्रीमती रंजना पत्नी स्व0 रणजीत पुत्री शोभा, जाति रावत, निवासी ग्राम केसरपुरा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।
30. श्रीमती संजना उर्फ ललिता पत्नी देवीसिंह पुत्री शोभा, जाति रावत, नि0 ग्राम डूमाडा, तह0 व जिला अजमेर ।
31. श्रीमती माया पत्नी शैतानसिंह पुत्री शोभा, जाति रावत, नि0 ग्राम पालरा, तहसील व जिला अजमेर ।
32. श्रीमती उर्मिला पत्नी शैतानसिंह पुत्री शोभासिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम बोराज, तहसील व जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पाडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर (कैम्प बडलिया) दिनांक 18.6.1992.

उपस्थितः–

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री मदनसिंह रावत, वकील रेस्पोडेंट संख्या 14 से 22 एवं 24.
3. रेस्पो0 संख्या 1 से 13, 23, 27 से 32 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः– 13.1.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर (कैम्प बडलिया) के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.1992 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. हजारी, किशना, भोमा, शोभा व हरी पुत्रगण हमीरा समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम बडलिया, तहसील व जिला अजमेर के द्वारा न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, अजमेर कैम्प बडलिया, अजमेर के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 के तहत घोषणात्मक वाद चौसाला खसरा नंबर 2368 के वर्किंग खसरा नंबर 2962 रकबा 2–4–10 एवं 2964 रकबा 0–16–10 की भूमि जो कि ग्राम बडलिया, तहसील व

जिला अजमेर में स्थित है के संदर्भ में वाद प्रस्तुत किया । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.1992 को पारित किया । उक्त अपीलाधीन निर्णय में अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 27 से 32 के पति एवं पिता शोभा पुत्र हमीरा का नाम सहवन से अंकित होने से रह गया, किन्तु डिक्री हजारी, किशना, भोमा, गोमा, शोभा एवं हरी पुत्रगण हमीरा के नाम जारी की गई है जबकि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में वादपत्र हजारी, किशना, भोमा, गोमा, शोभा एवं हरी पुत्रगण हमीरा, जाति रावत के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था । डिक्री सभी के नाम जारी की गई परन्तु आदेश में शोभा का नाम सहवन से अंकित नहीं किया जा सका इस कारण यह अपील शोभा के वारिसान अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.6.1992 में नाम जुडवाने हेतु पेश की गई है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में अपीलाधीन आदेश व डिक्री जारी की गई परन्तु अपीलाधीन आदेश में अपीलांटस के पति व पिता शोभा का नाम सहवन से अंकित नहीं किया जा सका था जबकि अपीलाधीन भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु डिक्री कायम की गई जिसमें शोभा का नाम अंकित है । अपीलाधीन भूमि में शोभा के द्वारा उनके जीवनकाल तक काश्त की जाती रही है तथा उनके स्वर्गवास के बाद शोभा के वारिसान अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 27 से 32 के द्वारा काश्त की जा रही है, काबिज है । अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील किये जाने बाबत् अपीलांटस के भी हित निहित है इस कारण अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के द्वारा पारित डिक्री में अपीलांटस के पति एवं पिता शोभा का नाम अंकित है किन्तु निर्णय में शोभा पुत्र हमीरा का नाम अंकित नहीं है । अपीलांटस अधी0न्याया0 के निर्णय स पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार होना प्रतीत होता है । न्यायहित में अपीलांटस को अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है । अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है ।

6. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांटस रघुवीरसिंह के द्वारा दिनांक 19.6.2017 को इन्टरनेट से वर्तमान जमाबंदी की प्रति प्राप्त की गई तथा पटवारी हल्का के द्वारा यह बताया कि शोभा पुत्र हमीरा का नाम ही वर्तमान जमाबंदी में नहीं है । इस पर अपीलांट के द्वारा अपीलाधीन आदेश व डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 30.6.2017 को आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 12.7.2017 को प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई । अपीलाधीन आदेश में अपीलांटस के पति व पिता शोभा पुत्र हमीरा का नाम सहवन से दर्ज होने से रह गया जबकि डिक्री शोभा के नाम से भी जारी की गई है । उक्त जानकारी होने पर अपीलांटस द्वारा अधिवक्ता से कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांट ने आर0बी0जे0 2016 पेज 679, आर0बी0जे0 2014 पेज 472 सुप्रीम कोर्ट एवं आर0आर0टी0 2018 (1) पेज 601 सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

7. प्रार्थी/अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश जिसमें शोभा पुत्र हमीरा का नाम सहवन से अंकित होने से रह गया इस कारण अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश कर अपीलाधीन आदेश में शोभा पुत्र हमीरा का नाम भी जोड़े जाने हेतु यह अपील पेश की है । अपीलाधीन भूमि चौसाला जमाबंदी संवत् 2019 से 2022 के अनुसार कॉलम संख्या 5 में हमीरा पुत्र मेदा, जाति रावत दर्ज है तथा भू–संशोधन जमाबंदी के अनुसार भी खातेदार दर्ज थे, इसी आधार पर अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, कैम्प बडलिया, अजमेर के समक्ष अपीलाधीन भूमि के खातेदार घोषित किये जाने हेतु वादपत्र हजारी, किशना, भोमा, गोमा, शोभा व हरी पुत्रगण हमीरा के द्वारा प्रस्तुत किया गया जिस पर पटवारी हल्का एवं तहसीलदार, अजमेर की जांच रिपोर्ट प्राप्त कर खातेदारी घोषणा के सदंर्भ में आदेश व डिक्री पारित की गई, किन्तु आदेश में सहवन से अपीलांटस के पिता शोभा पुत्र हमीरा का नाम सहवन से अंकित होने से रह गया इस कारण अपीलाधीन आदेश में शोभा पुत्र हमीरा का भी नाम जोड़े जाने हेतु यह अपील प्रस्तुत है। अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन डिक्री जो पारित की गई है उसमें हजारी, किशना, भोमा, गोमा, शोभा व हरी पुत्रगण हमीरा के नाम खातेदारी की घोषणा बाबत् डिक्री पारित की गई परन्तु अपीलाधीन आदेश में सहवन से शोभा पुत्र हमीरा का नाम अंकित करने से रह गया जबकि अधी0न्याया0 के समक्ष शोभा पुत्र हमीरा द्वारा भी वाद प्रस्तुत किया गया था । शोभा पुत्र हमीरा का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 27 से 32 है । हजारी पुत्र हमीरा का भी स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस रेस्पो0 संख्या 1 से 13 तथा किशना पुत्र हमीरा जो कि रेस्पो0 संख्या 14 है, भोमा पुत्र हमीरा का भी स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस रेस्पो0 संख्या 15 से 22 है तथा गोमा पुत्र हमीरा रेस्पो0 संख्या 23 है । बहस में यह भी निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के द्वारा वादपत्र के अनुसार खसरा नंबर 2962 व 2964 के संदर्भ में आदेश पारित किया गया परन्तु अपीलाधीन डिक्री में सहवन से खसरा नंबर 2964 के स्थान पर खसरा नंबर 2963 अंकित कर दिया गया जबकि अधी0न्याया0 के समक्ष कैम्प बड़लिया में वादपत्र हजारी, किशना, भोमा, गोमा, शोभाव हरी पुत्रगण हमीरा बनाम सरकार प्रस्तुत किया था जिसमें खसरा नंबर 2962 व 2964 के संदर्भ में ही प्रस्तुत किया गया था । इसलिये डिक्री में खसरा नंबर 2963 के स्थान पर खसरा नंबर 2964 का वांछित संशोधन भी किया जाना न्यायोचित है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.6.1992 में अपीलांटस के पति व पिता शोभा पुत्र हमीरा का नाम भी जोड़ा जावे एवं अपीलाधीन डिक्री में खसरा नंबर 2963 के स्थान पर खसरा नंबर 2964 अंकित करवाया जावे ।

9. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 14 से 22 एंव 24 ने बहस में निवेदन किया कि अपीलांट संख्या 2 राजवीसिंह ने अन्य अपीलांट श्रीमती गेकीदेवी, रणवीरसिंह, रघुवीरसिंह के साथ अपने आपको शोभासिंह का पुत्र बताकर अपीलाधीन आदेश व डिक्री के विरूद्ध अपील पेश की है किन्तु अपीलांट संख्या 2 राजवीरसिंह शोभासिंह का पुत्र नहीं है । अपीलांट संख्या 2 राजवीरसिंह श्रीमती भंवरीदेवी पत्नी मोबसिंह का पुत्र है । इसलिये राजवीरसिंह को शोभसिंह की सम्पति बाबत् अपील प्रस्तुत करने का कोई

अधिकार नहीं है । अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील मिस जोइन्डर ऑफ पार्टीज के कारण चलने योग्य नहीं है ।

10. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने ग्राम बडल्या के आराजी चौसाला खसरा नंबर 2368 रकबा 3–16–10 बीघा हमीरा वल्द मेधा रावत के नाम दर्ज थी । चौसाला खसरा नंबर 2368 के नवीन खसरा नंबर 2962 व 2963 के साथ अन्य खसरा नंबर बने। परन्तु खसरा नंबर 2962 रकबा 2–4–10 एवं खसरा नंबर 2963 रकबा 0–4–0 बीघा वर्किंग जमाबंदी में सिवायचक दर्ज कर दी गई । हमीरा पुत्र मेधा के 6 पुत्र हुए । हजारी, किशना, भोमा, गोमा, शोभा व हरी पुत्रगण हमीरा द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष दुरूस्ती हेतु वाद पेश किया गया जिसकी पुष्टि अधी0न्याया0 के समक्ष पेश किये गये वाद अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955 बाबत् घोषणा खातेदारी के वादपत्र से होती है परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.6. 1992 में हमीरा के 6 पुत्रों के बजाय केवल मात्र हजारी, किशना, भोमा, गोमा व हरी पुत्रगण हमीरा के नाम ही आदेश पारित किये गये है जबकि शोभा पुत्र हमीरा के नाम आदेश पारित नहीं किये गये किन्तु निर्णय दिनांक 18.6.1992 की पालना में जो डिक्री बनाई गई है उसमें हमीरा के समस्त 6 पुत्रों क्रमशः हजारी, किशना, भोमा, गोमा, शोभा व हरी पुत्रगण हमीरा के नाम दर्ज कर घोषणात्मक डिक्री पारित की गई है परन्तु इस डिक्री में भी खसरा नंबर 2964 रकबा 16 बिस्वा के स्थान पर खसरा नंबर 2963 रकबा 16 बिस्वा अंकित किया गया है जबकि आदेश में खसरा नंबर 2962 के साथ खसरा नंबर 2963 है तथा वादीगण द्वारा इन्हीं खसरा नंबरान बाबत् वाद पेश किया गया था तथा डिक्री में भी अधी0न्याया0 को खसरा नंबर 2962 के साथ खसरा नंबर 2964 बाबत् डिक्री जारी करनी चाहिये थी । इसी प्रकार वादपत्र में अंकित हमीरा के 6 पुत्रो के पक्ष में निर्णय पारित करना चाहिये था । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय मे वादी शोभा जो कि हमीरा का निर्विवाद पुत्र था जिसके द्वारा भी वाद पेश किया गया था इस कारण उसके नाम अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय में शोभा पुत्र हमीरा का नाम अंकित नहीं करने से तथा डिक्री में खसरा नंबर 2962 के साथ खसरा नंबर 2963 के स्थान पर खसरा नंबर 2962 रकबा 2–4–10 के साथ खसरा नंबर 2964 रकबा 16 बिस्वा बाबत् डिक्री पारित करनी चाहिये थी । उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट के पिता शोभा पुत्र हमीरा द्वारा भी वाद पेश किया गया था, किन्तु निर्णय में शोभा पुत्र हमीरा का नाम अंकित नहीं किये जाने से तथा डिक्री में खसरा नंबर 2964 रकबा 16 बिस्वा के स्थान पर खसरा नंबर 2963 रकबा 16 बिस्वा अंकित किये जाने से अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.1992 त्रुटिपूर्ण होकर संशोधन किये जाने योग्य पायी जाती है ।

11. जहां रेस्पो0 द्वारा यह कथन कि अपीलांट शोभा के वारिस नहीं है इस संबंध में पूर्व में हाजा न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 पेश किया गया था जिसमें भी यही ऐतराज रेस्पो0 द्वारा लिये गये थे । न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 18.2.2020 को निरस्त किया जा चुका है । इस कारण रेस्पो0 का उक्त ऐतराज स्वीकार्य नहीं है ।

12. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पायी जाती है ।

13. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.6.1992 में हमीरा के पुत्रगण हजारी, किशना, भोमा, गोमा व हरी पुत्रगण हमीरा के साथ शोभा पुत्र हमीरा के वारिसान अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 27 से 32 को ग्राम बड़ल्या तहसील व जिला अजमेर के वर्किंग खसरा नंबर 2962

रकबा 2–4–10 एवं खसरा नंबर 2964 रकबा 16 बिस्वा में सह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 13.1.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर